न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी / परगनाधिकारी, बेहट

वाद सं0 08 /2007

डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैमोरियल ऐजुकेशन सोसायटी बनाम सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 अधि0
बाबत ग्राम थापल इस्माईलपुर परगना मु0वाद
तहसील - बेहट, जिला - सहारनपुर

आदेश

प्रश्नगत वाद की कार्यवाही डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मैमोरियल ऐजुकेशन सोसायटी द्वारा चैयरमैन इन्दर सिंह सागवान पु0 बीरबल सिंह सागवान नि0 सुन्दरपुर परगना मु0वाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई जिसमें कथन किया गया कि खसरा नम्बर 2380 रकबा 0.4716हे0 व 2381 रकबा 0.4697हे0 व 2310 रकबा 0.1150हे0 व 2311 रकबा 0.1243हे0 ग्राम स्थित थापल इस्माईलपुर परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर के 1.1806हे0 रकबे के यह मालिक व काबिज हैं जो कृषि कार्य में प्रयोग में नहीं आ रही है बल्कि आबादी शिक्षण संस्था के प्रयोग में लायी जा रही हैं। अतः उक्त रकबे को धारा 143 ज0वि0 अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार बेहट द्वारा कराई गई। उनकी जाँच आख्या दिनांक 02.06.07 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2380 रकबा 0.4716हे0 व 2381 रकबा 0.4697हे0 व 2310 रकबा 0.1150हे0 व 2311 रकबा 0.1243हे0 कुल 1.1806हे0 के प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर हैं। जिसका वार्षिक लगान 33.57पैसे है। इस क्षेत्रफल पर मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ है तथा कृषि कार्य नहीं हो रहा है जिस कारण उक्त रकबे को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बेहट की आख्या दिनांक 02.06.07 के अनुसार प्रश्नगत भूमि / क्षेत्रफल वर्तमान में कृषि कार्य के प्रयोग में नहीं लायी जा रही है। बल्कि आबादी शिक्षण संस्था प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य चल रहा है। अतः खसरा नम्बर 2380 रकबा 0.4716हे0 व 2381 रकबा 0.4697हे0 व 2310 रकबा 0.1150हे0 व 2311 रकबा 0.1243हे0 कुल 1.1806हे0 लगान 33.57पैसे वार्षिक स्थित ग्राम थापल इस्माईलपुर परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट को अकृषक घोषित किया जाता है तथा दर्ज लगान 33.57 पैसे समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार एवं उपनिबन्धक बेहट को भेजी जाये तथा बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिज दफ्तर की जावे।

दिनांक: 08 जून, 2007

08/6/07

(डॉ0 नीरज शुक्ला)
सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी /
परगनाधिकारी, बेहट

S.D.O. बेहट (सहारनपुर)

नकल आदेश दिनांक 18/8/12

न्यायालय सहायक कलक्टर, प्रथम श्रेणी / उपजिलाधिकारी, बेहट (सहारनपुर)।

वाद संख्याः ... /2011-12 अंतर्गत धारा- 143 ज0वि0अधि0

डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजूकेशन सोसाइटी 170 बसंत विहार देहरादून स्थायी कार्यालय सुन्दरपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्रसिंह सांगवान पुत्र बीरबल सिंह सांगवान नि0 सुन्दरपुर परगना मुजफ्फराबाद जिला सहारनपुर !

----------------प्रार्थी

बनाम सरकार

ग्राम-थापुल ईस्माईलपुर

परगना-मुजफ्फराबाद

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजूकेशन सोसाइटी 170 बसंत विहार देहरादून स्थायी कार्यालय सुन्दरपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्रसिंह सांगवान पुत्र बीरबल सिंह सांगवान नि0 सुन्दरपुर परगना मुजफ्फराबाद जिला सहारनपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-1-2012 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमें प्रार्थी का कथन है कि वह भूमि खसरा संख्या 2316 रकबा 0.2164 हे0 व 2328 रकबई 1.5633 हे0 व 2312 रकबई 0.5033 हे0 स्थित थापुल ईस्माईलपुर का संक्रमणीय भूमिधर व काबिज है। उक्त भूमि में कोई कृषिक कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि मौके पर शिक्षण संस्था के रूप में प्रयोग हो रही है। अतः प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार, बेहट से जांच करायी गई। जांच आख्या दिनांक 05-6-2012 के अनुसार ग्राम थापल ईस्माईलपुर परगना मु0बाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर के खसरा संख्या 2312/0.5833 हे0 व 2328/1.5633हे0 व 2316म/0.2164 हे0 का वर्तमान में गैर कृषि कार्य, दून कालिज के खेल के मैदान के रूप में प्रयोग हो रहा है। स्थल पर चारदिवारी आदि हेतु निर्माण सामग्री ईंट आदि पड़ी हुई हैं। तहसीलदार, बेहट द्वारा प्रश्नगत भूमि को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक भूमि घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

वाद दर्ज किया गया। तहसीलदार, बेहट की आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है तथा दून कालिज के खेल के मैदान के रूप में प्रयोग हो रही है।

अतः तहसीलदार, बेहट की आख्या के आधार पर डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजूकेशन सोसाइटी 170 बसंत विहार देहरादून स्थायी कार्यालय सुन्दरपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्रसिंह सांगवान पुत्र बीरबल सिंह सांगवान नि0 सुन्दरपुर परगना मुजफ्फराबाद जिला सहारनपुर के नाम ग्राम थापल ईस्माईलपुर परगना मुजफ्फराबाद के खतौनी वर्ष 1413-1418 फसली के खाता संख्या 1120 खसरा संख्या 2312 रकबा 0.5833 हे0 व खाता संख्या 1003 खसरा संख्या 2328 रकबा 1.5633हे0 व खाता संख्या 1574 खसरा संख्या 2316ग रकबा 0.2164 हे0 से संबंधित भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान क्रमशः रूपया 14.20 व 32.50 व 4.80 समाप्त किया जाता है। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार, बेहट एवं उपनिबंधक, बेहट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। पत्रावली बाद आवश्यक पूर्ति राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांकः अगस्त ... 2012

ह0 अपठित

(भानु प्रताप यादव)
सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी /
उपजिलाधिकारी बेहट।

नकलनवीस - [illegible]
मिलानवीस - [illegible]